भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 185

उत्तर देने की तारीख : 20 जुलाई, 2021

दृश्य कला प्रदर्शन को प्रोत्साहन

185. श्री नीरज डांगी :

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दृश्य कला प्रदर्शन के प्रोत्साहन का कार्य किसी संस्थान और एजेंसियों को सौंपा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने दृश्य कला के संस्थानों की स्थापना के लिए कोई धनराशि आवंटित की है; और

(घ) क्या सरकार की दृश्य कला प्रदर्शन के क्षेत्र में सांस्कृतिक संस्थान स्थापित करने की योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

(जी. किशन रेड्डी)

संस्कृति, पर्यटन एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री

(क) और (ख) : जी हां। भारत सरकार द्वारा ललित कला अकादेमी, कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान, सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र आदि जैसे विभिन्न संगठनों के माध्यम से दृश्य कला प्रदर्शन का संवर्धन कार्य किया जा रहा है।

संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन स्वायत्त संगठन ललित कला अकादेमी (एलकेए), कलाकारों को स्टूडियो सुविधा प्रदान करती है जिससे कलाकारों को कौशल का विकास करने और अपने क्षेत्र में अधिक कुशल एवं व्यावसायिक बनने में सहायता मिलती है। ललित कला अकादेमी द्वारा छात्रवृत्ति की सुविधा भी प्रदान की जाती है।

ललित कला अकादेमी के क्षेत्रीय केंद्र उन विद्वानों को स्थल की सुविधा और अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान करते हैं जिन्हें समय-समय पर ललित कला अकादेमी-छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। ये सुविधाएं उन्हें अपने क्षेत्र में अपने कौशल और प्रदर्शन में सुधार करने में सहायता करती हैं। ये केंद्र पेंटिंग, ग्राफिक, सेरामिक और मूर्तिकला विषयों के दृश्य कला कलाकारों को कार्य करने की सुविधा प्रदान करते हैं।

कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान का रुक्मिणी देवी ललित कला महाविद्यालय (आरडीसीएफए) (संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के तहत स्वायत्त निकाय) दृश्य कला विभाग के तहत दृश्य कलाओं में 04 वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करता है। कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान द्वारा संचालित दृश्य कला डिप्लोमा पाठ्यक्रम को तमिलनाडु संगीत और ललित कला विश्वविद्यालय तथा कुछ अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा दृश्य कला में 04 वर्षों के स्नातक पाठ्यक्रम के समकक्ष मान्यता प्रदान की गई है और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए भी पात्र है।

आरडीसीएफए के दृश्य कला विभाग के तहत 04 वर्षीय दृश्य कला पाठ्यक्रम में चार वर्षों में आठ सेमेस्टर हैं।

केएफ दृश्य कला में एक अंशकालिक पाठ्यक्रम भी संचालित करता है जैसे कि 06 वर्ष की अवधि का "प्रथमा।"

सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र (सीसीआरटी), संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में एक स्वायत्त संगठन होने के नाते, देश भर के शिक्षकों, शिक्षक प्रशिक्षकों और सांस्कृतिक प्रशासकों को संस्कृति आधारित कार्यप्रणाली प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ-साथ विभिन्न साहित्यिक और दृश्य कला रूपों के माध्यम से अभिव्यक्त विविधतापूर्ण एवं समृद्ध भारतीय सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए छात्रवृत्ति एवं अध्येतावृत्ति स्कीमें संचालित करने के द्वारा शिक्षा को संस्कृति से जोड़ने का कार्य करता है। इसमें दृश्य कला प्रस्तुतियों के संवर्धन का कार्य भी शामिल है।

छात्रवृत्ति और अध्येतावृत्ति स्कीमों का विवरण निम्नानुसार है:

- सांस्कृतिक प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति स्कीम (10-14 वर्ष)
- विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में "युवा कलाकारों को छात्रवृत्ति प्रदान करने की स्कीम'' (18-25 वर्ष)

- संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट व्यक्तियों को अध्येतावृत्ति प्रदान करने के लिए अध्येतावृत्ति स्कीम

(ग) : जी हां। उपरोक्त सभी संगठनों/संस्थानों को भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदान के माध्यम से वित्तपोषित किया जा रहा है।

(घ) : पहले से ही स्थापित उपरोक्त सांस्कृतिक संस्थानों के अलावा, भारत सरकार आवश्यकता और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार विभिन्न कलाओं के विकास के लिए विभिन्न संगठनों/स्कीमों/मिशनों की स्थापना करती है।